भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद
पोस्ट-राविराला, वाया-रागन्नागुडा 'X' रोड
जिला-रंगारेड्डी, 501510 (तेलंगाना)



Government of India
Ministry of FAHD
Department of AHD
REGIONAL FODDER STATION, HYDERABAD
P.O.- Ravirala, Via Ragannaguda, 'X' Road,
District- Ranga Reddy, TS-501510
E-mail: director-rfshyd@gov.in,

F. N.: 4-1/24-RFS

Dated: 05.07.2024

## VACANCY CIRCULAR

Applications are invited from eligible candidates for filling up of the post of Driver at Regional Fodder Station, Hyderabad, Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying.

Name of the Post	Pay Scale	Mode of Recruitment	No. of Vacancies	Category
Driver (General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non- Ministerial)	Level-2 (Rs.19900 -63200) in the pay matrix as per 7 <sup>th</sup> CPC	Through Direct Recruitment	01 (one)	Unreserved (UR)

1. Requirement for applying for the post of Driver as per recruitment rules (GSR No. 75 dated 09.04.2012)

(i)	Age limit For	Between 18-25 years (relaxable upto 40 years for departmental candidates)
	Direct	Note:-
	recruits	1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Island and Lakshdweep).  2. In respect of posts, the appointment of which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date up to which the Employment Exchange are asked to submit the names)
(ii)	Educational Qualification	Essential: 10 <sup>th</sup> class passed with professional skill in driving with knowledge of vehicular mechanism OR training in tractor maintenance and upkeep from any recognized institution and having valid driving license for driving heavy motor vehicles,  Desirable: Experience in maintenance of tractors, heavy machinery and equipment in a recognized farm or in a firm of repute.
(iii)	Period of probation	Two years

कार्यालय प्रधान/ Head of Office क्षेत्रीय चारा केंद्र / Regional Fodder Station हैदराबाद, तेलंगाना / Hyderabad, Telangana

Contd...2

2. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submitting of application in the advertisement in Employment News.

3. Date of Birth filled by candidates in the application form and the same recorded in the Matriculation / Secondary Examination Certificate will be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted.

4. Certificate(s) for the entire experience claimed, clearly mentioning the duration of employment (date, month, and year), nature of duties performed / experiences obtained in the post(s) with duration(s) will be considered on merits.

5. Age Relaxation: As per extant Govt. Rules

6. Schemes of selection.

- 6.1 In the event of number of applications being large, short listing criteria to restrict the number of candidates to be called for written/proficiency test will be adopted.
- 6.2 The selection process will include verification of candidates, verification of documents, skill/proficiency test and written test.
- 6.3 All the candidates have to appear for documents verification along with photocopies and original documents, in support of the claim made in their application.
- 6.4 The candidates who qualify the documents verification will be allowed to appear for skill/proficiency test; skill/proficiency test will be qualifying nature as per the qualifying standards fixed.
- 6.5 The candidates have to score the minimum percentage of marks fixed in written test. The merit will be drawn based on the marks obtained in written test.
- 6.6 Resolution of the cases: In cases where more than one candidates secures the equal aggregates marks in written test, tie will be resolved by applying the following methods: (i) Date of Birth, with older candidates placed higher (ii) Candidates acquiring essential qualification earlier would be Senior.
- 6.7 The admission of the candidates at all stages of the selection process will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions, if, on verification, at any time before or after the selection process. If, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled.
- 6.8 Success in the selection process confers no right of appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the services / post.
- 6.9 Candidates selected for appointment are liable to services anywhere in India. i.e. the posts carry All India service Liability. Place of posting can be any of the farm (Regional Fodder Stations), situated at Hyderabad (Telangana), Srinagar(J&K), Hisar (Haryana), Suratgarh (Rajasthan), Dhamrod (Gujarat), Kalyani (West Bengal), Chennai (Tami Nadu).
- 6.10 The decision of the competent authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the application, penalty for false information, mode of selection, conduct of tests, preparation of merit list and post allocation, debarment for indulging in malpractices will be final and binding on the candidates and no enquiry / correspondence will be entertained in this regards.

कार्यालय प्रधान/ Head of Office क्षेत्रीय चारा केंद्र / Regional Fodder Station हैदराबाद, तेलंगाना / Hyderabad, Telangana

Contd....3

#### 7. General terms and conditions of service:

- a) The post is permanent and covered under "New Pension Scheme (NPS)".
- b) The terms and conditions will be covered under central civil services rules issued by Government of India from time to time.
- c) The interested and eligible candidates may apply on plain paper with full bio-data containing Name in Full (Block letters). Father's name, date of birth (as per Christian era), Nationality, Religion, Caste, Disability, Correspondence Address, Permanent Address (with Pin Code, Telephone number, Mobile Number, E-mail), Educational qualifications, Details of experience etc. Passport size photograph carrying the signature of candidate on it need to be pasted on the bio- data, self-attested Copies of testimonials of age, educational qualification, experiences, caste, disability certificate etc issued by respective competent authority, in the prescribed format need to be attached.
- d) Candidates working in central government / state government / Public Sector Undertaking / Autonomous Bodies should apply through proper channel along with Certificate from their employer that neither any disciplinary case is pending nor contemplated against him, otherwise application will not be considered.
- e) No correspondence/enquiries will be entertained and canvassing in any form will be a disqualification.
- f) Duly filled application in the prescribed proforma accompanied by required documents should be sent to The Head of Office, Regional Fodder Station, Hyderabad P.O.- Ravirala, Via Ragannaguda, 'X' Road, District- Ranga Reddy, TS-501510 so as to reach them within 30 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News. The cover containing the application should be superscripted as "APPLICATION FOR THE POST OF DRIVER".
- g) Application(s) received after the due date and application(s) received through e-mail, fax or similar means will not be considered.
- h) If the last date happens to be Saturday, Sunday or closed holiday, the next working day will be taken as crucial date.

कार्यालय प्रधान/ Head of Office क्षेत्रीय चारा केंद्र / Regional Fodder Station हैदराबाद, तेलंगाना / Hyderabad, Telangana भारत सरकार / Govt. of India क्षेत्रीय धारा केंद्र / Regional Fodder Station मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying पशुपालन एवं डेयरी विभाग Department of Animal Husbandry & Dairying भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद
पोस्ट-राविराला, वाया-रागन्नागुडा 'X' रोड
जिला-रंगारेड्डी, 501510 (तेलंगाना)



# Government of India Ministry of FAHD Department of AHD REGIONAL FODDER STATION, HYDERABAD P.O.- Ravirala, Via Ragannaguda, 'X' Road, District- Ranga Reddy, TS-501510 E-mail: director-rfshyd@gov.in,

कमांक : 4-1/24-आरएफ़एस

दिनांक : 05.07.2024

# रिक्ति परिपत्र

भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद में चालक (अनारक्षित) पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद का नाम	वेतनमान	भर्ती का तरीका	रिक्तियों की संख्या	श्रेणी
चालक	स्तर-2 (19900-63200) वेतन मेट्रिक्स में	सीधी भर्ती के माध्यम से	01 ( एक )	अनारक्षित

2. चालक के पद के लिए आवेदन करने के लिये आवश्यक अर्हता (जी.एस. आर. संख्या 75 दिनांक 09.04.2012]:

(i)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18से 25वर्ष के बीच ( विभागीय अभ्यार्थियों के लिए शिथिल करके 40वर्ष तक की जा सकती है)।  टिप्पणी: 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीत जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है  .2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिनपर नियुक्ति की दशा प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी
(ii)	शैक्षिक योग्यता	जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। आवश्यक: 10 वीं कक्षा उर्तीण और चालन में वृत्तिक कुशलता के साथ यानीय कलपुर्जे का ज्ञान या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ट्रैक्टर अनुरक्षण और रख रखाव का प्रशिक्षण और भारी मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति वांछनीय (ii) किसी मान्यताप्राप्त फार्म या किसी ख्यातिप्राप्त फर्म में ट्रैक्टर, भारी मशीनरी और उपस्कर के अनुरक्षण का अनुभव
(iii)	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष

- 3. प्रत्येक मामले में सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन में आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी।
- 4. उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जन्मतिथि जो मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है, आयु के निर्धारण के लिए स्वीकार की जायेगी और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर न तो विचार किया जायेगा और न ही अनुमित दी जायेगी।
- 5. अनुभव के लिए प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, महीना और वर्ष), कर्तव्यों की प्रकृति/ अवधि के साथ पद (पदों) में प्राप्त अनुभव का उल्लेख होने पर ही योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा।
- 6. आयु में छूट: भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमानुसार
- 7. चयन की योजना :-
- 7.1 आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित / प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करते हुए शार्टिलिस्टिंग मापदण्ड निर्धारित किया जायेगा।
- 7.2 चयन प्रकिया में उम्मीदवार का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन, कौशल / प्रवीणता परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल होगी।
- 7.3 सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में फोटो कापी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 7.4 दस्तावेज सत्यापन में अर्हताप्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कौशल / प्रवीणता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी। निर्धारित योग्यता मानकों के अनुसार कौशल / प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
- 7.5 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में निर्धारित अंको का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना होगा। वरीयता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
- 7.6 बराबरी के मामलों का समाधान उन मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित विधियों को लागू किया जायेगा
- (i) जन्मतिथि: पहले जन्में उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रख कर
- (ii) पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार वरिष्ठ होगा।
- 7.7 निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन चयन प्रकिया के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रुप से पूर्णतया अनंतिम होगा, यदि सत्यापन के दौरान, चयन प्रकिया से पहले या बाद में किसी भी समय, यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 7.8 चयन प्रकिया में सफलता नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करती जब तक कि आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद, सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं होती है कि उम्मीदवार सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है.
- 7.9 नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात ये पद अखिल भारतीय सेवा का दायित्व वहन करते हैं।
- 7.10 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दण्ड, चयन की विधि, परीक्षाओं का संचालन, योग्यता सूची तैयार करना और पद का आवंटन, कदाचार में लिप्त पाये जाने पर विवर्जन से सम्बंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस सम्बंध में किसी पूछताछ /पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यालय प्रधान/ Head of Office क्षेत्रीय चारा केंद्र / Regional Fodder Station

हैदराबाद, तेलंगाना / Hyderabad, Telangana

जारी है ....

# सेवा के सामान्य नियम और शर्तें:

- 1. पद स्थायी है और "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के अंतर्गत है।
- 2. नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत होगी।
- 3. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार पूरे नाम (बड़े अक्षरों में), पिता का नाम, जन्मतिथि (ईसवी सन के अनुसार), राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता, पता (पिन कोड, टेलीफोन न., मोबाईल न., ई मेल के साथ) पत्राचार के लिए पता (पिन कोड, टेलीफोन न., मोबाईल न., ई मेल के साथ), शैक्षिक योग्यता, अनुभव का विवरण आदि सहित, पूर्ण जीवन-वृत के साथ सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों, बायोडाटा पर चिपकाया जाये। निर्धारित प्रारुप में सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, विकलांगता प्रमाणपत्र आदि के साथ प्रशंसा पत्र की स्व सत्यापित प्रतियों को आवश्यक रुप से संलग्न किया जाये।
- 4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/स्वायत निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से, उनके नियोक्ता से प्रमाण पत्र के साथ कि न तों उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है, आवेदन करना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- कोई पत्राचार/पूछताछ पर विचार नही किया जायेगा और किसी भी रुप में पक्ष प्रचार करना अयोग्यता होगी।
- 6. निर्धारित प्रोफार्मा में भरा हुआ आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों सहित, कार्यालय प्रधान, भारत सरकार, क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद, पोस्ट- रिवराला, वाया रागननागुड़ा x रोड, जिला रंगारेड्डी, 501510, तेलंगाना को, रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर " चालक के पद के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए। नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन (ओ) और ई मेल, फैक्स या इसी तरह के माध्यम से प्राप्त आवेदन (ओ) पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7. यदि अंतिम तिथि को शनिवार / रिववार या कोई भी शासकीय अवकाश होता है तो ठीक अगले कार्य दिवस को निर्णायक तिथि माना जायेगा।

भीतना राम्भ

# चालक (अनारक्षित) के पद पर आवेदन हेतु प्रोफार्मा PROFORMA OF APPLICATION FOR THE POST OF DRIVER (UNRESERVED)

		Space for photograph  ( with signature of candidate)
1	नाम बड़े अक्षरों में (Name in Full (Block Letters )	
2	पिता का नाम Father's Name (in full)	
3	जन्मतिथि (मैट्रिक प्रमाणपत्र अनुसार) Date of Birth (as per class 10 <sup>th</sup> certificate)	
4	राष्ट्रीयता /Nationality	
5	धर्म /Religion	
6	जाति /Caste (with supporting documents)	
7	स्थायी पता (पिन कोड ,टेलीफोन न .मोबाईल न . और ई मेल सहित ) Permanent Address with pin code, telephone no. mobile no. and e- mail id	
8	पत्राचार हेतु पता ( पिन कोड , टेलीफोन न :.मोबाईल न .और ई मेल सहित ) Address for Communication with pin code, telephone no. mobile no. and e- mail id	
9	शैक्षणिक योग्यता /Educational qualification	
10	अनुभव का विवरण /Details of	

दिनाक / Date: स्थान / Place

experience etc.

आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of Applicant उम्मीदवार का नाम / Name of candidate

#### भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद पोस्ट-राविराला, वाया-रागन्नागुडा 'X' रोड जिला-रंगारेड्डी,) 501510 तेलंगाना (



### Government of India Ministry of FAHD Department of AHD REGIONAL FODDER STATION, HYDERABAD P.O.- Ravirala, Via Ragannaguda, 'X' Road, . District- Ranga Reddy, TS-501510

E-mail: director-rfshyd@gov.in,

क्रमांक: सं 1-1/24-RFS

दिनांक: 05.07.2024

# रिक्ति परिपत्र

भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद में फार्म परिचारक सह श्रमिक के 5 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद का नाम	वेतनमान	भर्ती का तरीका	रिक्तियों की संख्या	श्रेणी
फार्म परिचारक सह श्रमिक (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित, अनुनसचिवीय)	स्तर -1 (18000- 56900) वेतन मैट्रिक्स में	सीधी भर्ती के माध्यम से	05 (ਧਾੱਚ)	1. अनारक्षित श्रेणी (यू. आर.)- 3 पद 2. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी)- 1 पद 3. आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग (ई डब्लू. एस.)- 1 पद

2.फार्म परिचारक सह श्रमिक के पद के लिए आवेदन करने के लिये आवश्यक अर्हता जी. एस. आर. संख्या 200 दिनांक 12.11.2023

1	सीधी भर्ती के	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यार्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा
	लिए आयु	सकती है)
	सीमा	टिप्पणी :
		1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीत जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।  2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिनपर नियक्ति की दशा प्रत्येक मामले
		में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
2	शैक्षिक योग्यता	आवश्यक
		1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उर्तीर्ण, और
		2 किसी प्रतिष्ठित संस्थान या फार्म में पशुपालन कार्यकलापों में एक वर्ष का अनुभव

		टिप्पणी 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाये, सक्षम प्राधिकारी, विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हताए कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जायें, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की सकती है जब चयन के किसी प्रकम पर सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
3	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष

3. प्रत्येक मामले में सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन मे आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी।

4.उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जन्मतिथि जो मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है, आयु के निर्धारण के लिए स्वीकार की जायेगी और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर न तो विचार किया जायेगा और न ही अनुमति दी जायेगी।

- 5. अनुभव के लिए प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, महीना और वर्ष), कर्तव्यों की प्रकृति/अवधि के साथ पद (पदों) में प्राप्त अनुभव का उल्लेख होने पर ही योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा।
  - 6. आयु में छूट: भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमानुसार
  - 7. चयन की योजना :-
- 7.1 आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित / प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करते हुए शार्टलिस्टिंग मापदण्ड निर्धारित किया जायेगा।
- 7.2 चयन प्रकिया में उम्मीदवार का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन, कौशल / प्रवीणत्ता परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल होगी।
- 7.3 सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में फोटो कापी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 7.4 दस्तावेज सत्यापन में अर्हताप्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कौशल/प्रवीणता परीक्षा में बैठने की अनुमित दी जायेगी। निर्धारित योग्यता मानकों के अनुसार कौशल / प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
- 7.5 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में निर्धारित अंको का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना होगा। वरीयता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
- 7.6 बराबरी के मामलों का समाधान: उन मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं. ऐसी स्थिति में निम्नलिखित विधियों को लागू किया जायेगा
- (i) जन्मतिथि: पहले जन्में उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रख कर
- (ii) पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार वरिष्ठ होगा ।
- 7.7 निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन चयन प्रकिया के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रूप से पूर्णतया अनितम होगा, यदि सत्यापन के दौरान, चयन प्रकिया से पहले या बाद में किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनको उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 7.8 चयन प्रकिया में सफलता नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करती जब तक कि आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद, सरकार इस बात से संतुष्ट नही होती है कि उम्मीदवार सेवा / पद एक नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।
- 7.9 नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है अर्थात ये पद अखिल भारतीय सेवा का दायित्व वहन करते हैं।

- 7.10 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दण्ड, चयन की विधि, परीक्षाओं का संचालन, योग्यता सूची तैयार करना और पद का आवंटन, कदाचार में लिप्त पाये जाने पर विवर्जन से सम्बंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस सम्बंध में किसी पूछताछ /पत्र वार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8. सेवा के सामान्य नियम और शर्तें:-
- 1. पद स्थायी है और "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के अंतर्गत है।
- 2. नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत होगी।
- 3. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार पूरे नाम (बड़े अक्षरों में), पिता का नाम, जन्मतिथि (ईसवी सन के अनुसार), राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता की श्रेणी, घर का पता (पिन कोड, टेलीफोन न., मोबाईल न., ई मेल के साथ) पत्राचार के लिए पता (पिन कोड, टेलीफोन न.. मोबाईल न., ई मेल के साथ), शैक्षिक योग्यता, अनुभव का विवरण आदि सिहत, पूर्ण जीवन-वृत के साथ सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों, बायोडाटा पर चिपकाया जाये। निर्धारित प्रारुप में सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आयु, स्वैच्छिक योग्यता, अनुभव, जाति, विकलांगता प्रमाणपत्र आदि के साथ प्रशंसा पत्र की स्व सत्यापित प्रतियों को आवश्यक रुप से संलग्न किया जाये।
- 4.केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम / स्वायत निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से, उनके नियोक्ता से प्रमाण पत्र के साथ कि न तों उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है, आवेदन करना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5.कोई पत्राचार/पूछताछ पर विचार नहीं किया जायेगा और किसी भी रुप में पक्ष प्रचार करना अयोग्यता होगी ।
- 6 . निर्धारित प्रोफार्मा में भरा हुआ आवेदन, पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित, कार्यालय प्रधान, भारत सरकार, क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद, पोस्ट- रिवराला, वाया रागननागुड़ा x रोड, जिला रंगारेड्डी, 501510, तेलंगाना को, रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर "फार्म परिचारक सह श्रमिक के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए। नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन (ओ) और ई मेल, फैक्स या इसी तरह के माध्यम से प्राप्त आवेदन (ओ) पर विचार नहीं किया जायेगा।

7.यदि अंतिम तिथि को शनिवार / रिववार या कोई भी शासकीय अवकाश होता है तो ठीक अगले कार्य दिवस को निर्णायक तिथि माना जायेगा ।

> कार्यालय प्रधान/ Head of Office गरा केंद्र / Regional Fodder Station

क्षेत्रीय चारा केंद्र / Regional Fodder Station हैदराबाद, तेलंगाना / Hyderabad, Telangana भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
क्षेत्रीय चारा केन्द्र, हैदराबाद
पोस्ट-राविराला, वाया-रागन्नागुडा 'X' रोड
जिला-रंगारेड्डी,) 501510 तेलंगाना (



# Government of India Ministry of FAHD Department of AHD REGIONAL FODDER STATION, HYDERABAD P.O.- Ravirala, Via Ragannaguda, 'X' Road, District- Ranga Reddy, TS-501510 E-mail: director-rfshyd@gov.in,

File No.1-1/24-RFS

Dated: 05.07.2024

# VACANCY CIRCULAR

1. Applications are invited from eligible candidates for filling up of five posts of FARM ATTENDANT CUM LABOUR at Regional Fodder Station, Hyderabad, Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and

Dairving.

Name of the Post	Pay Scale	Mode of Recruitment	No. of Vacancies	Category
FARM ATTENDANT CUM LABOUR (General Central Service, Group-C Non-Gazetted, Non Ministerial)	Level-1 (Rs.18000 -56900) in the pay matrix	through Direct Recruitment	05 (five)	<ol> <li>Unreserved (UR)- 03</li> <li>Other Backward Cast (OBC)- 01</li> <li>Economically Weaker Section (EWS)-01</li> </ol>

2. Requirement for applying for the post of Farm Attendant cum Labour (GSR No. 200 dated

(i)	Age limit For	Between 18-27 years (relaxable upto 40 years for departmental candidates)
	Direct recruits	Note:- 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Island and
		Lakshadweep).  2. In respect of posts, the appointment of which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date up to which the Employment Exchange are asked to submit the names.

कार्यालय प्रधान/ Head of Office क्षेत्रीय चारा केंद्र / Regional Fodder Station

हैदराबाद, तेलंगाना / Hyderabad, Telangana

(ii)	Educational Qualification	1. Matriculation or equivalent pass from a Recognized board/ Institution; and
		2. One year experience in farming activities in a reputed Institute or farm.  Note: 1 qualification are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.
		Note: 2 The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
(iii)	Period of probation	Two years

- 3. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submitting of application in the advertisement in Employment News.
- 4. Date of Birth filled by candidates in the application form and the same recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate will be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted.
- 5. Certificate(s) for the entire experience claimed, clearly mentioning the duration of employment (date, month and year), nature of duties performed / experiences obtained in the post(s) with duration(s) will be considered on merits.

#### 6. Age Relaxation: As per extant Govt. Rules

## 7. Schemes of selection.

- 7.1 In the event of number of applications being large, short listing criteria to restrict the number of candidates to be called for written / proficiency test will be adopted.
- 7.2 The selection process will include verification of candidates, verification of documents, skill/proficiency test and written test.
- 7.3 All the candidates have to appear for documents verification along with photocopies and original documents, in support of the claim made in their application.
- 7.4 The candidates who qualify the documents verification will be allowed to appear for skill/proficiency test; skill / proficiency test will be qualifying nature as per the Qualifying standards fixed.
- 7.5 The candidates have to score the minimum percentage of marks fixed in written test. The merit will be drawn based on the marks obtained in written test.
- 7.6 Resolution of the cases: In cases where more than one candidate secures the equal aggregates marks in written test, tie will be resolved by applying the following methods: (i) Date of Birth, with older candidates placed higher (ii) Candidates acquiring essential qualification earlier would be senior.

- 7.7 The admission of the candidates at all stages of the selection process will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions, if, on verification, at any time before or after the selection process. It is found that, they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled.
- 7.8 Success in the selection process confers no right of appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the services /post.
- 7.9 Candidates selected for appointment are liable to services anywhere in India. i.e. the posts carry All India service Liability
- 7.10 The decision of the competent authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the application, penalty for false information, mode of selection, conduct of tests, preparation of merit list and post allocation, debarment for indulging in malpractices will be final and binding on the candidates and no enquiry / correspondences will be entertained in this regards.

#### 8. General terms and conditions of service:

- 1. The post is permanent and covered under "New Pension Scheme (NPS)".
- 2. The terms and conditions will be covered under central civil services rules issued by Government of India from time to time.
- 3. The interested and eligible candidates may apply on plain paper with full bio-data containing Name in Full (Block letters), Father's name, date of birth (as per Christian era), Nationality, Religion, Caste, Disability, Home Address (with Pin Code, Telephone number, Mobile Number, E-mail), Educational qualifications, Details of experience etc. Passport size photograph carrying the signatures of candidate on it; need to be pasted on the bio-data, Self-attested Copies of testimonials of age, educational qualification, experiences, caste, disability certificate etc. issued by respective competent authority, in the prescribed format need to be attached.
- 4. Candidates working in central government / state government / Public Sector Undertaking / Autonomous Bodies should apply through proper channel along with Certificate from their employer that neither any disciplinary case is pending nor contemplated against him Otherwise application will not be considered.
- 5. No correspondence / enquiries will be entertained and canvassing in any form will be a disqualification.
- 6. Duly filled application in the prescribed Proforma accompanied by required documents should be sent through Registered/Speed Post to the Head of the Office, Regional Fodder Station, Hyderabad, P.O.- Ravirala, Via Ragannaguda, 'X' Road, District- Ranga Reddy, TS-501510, so as to reach them within 30 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News. The cover containing the application should be superscripted as "APPLICATION FOR THE POST OF FARM ATTENDANT CUM LABOUR". Application (s) received after the due date and application (s) received through e- Mail, fax or similar means will not be considered.
- 7. If the last date happens to be Saturday, Sunday or closed holiday, the next working day will be taken as crucial date.

# फार्म परिचारक सह श्रमिक के पद पर आवेदन हेतु प्रोफार्मा photograph PROFORMA OF APPLICATION FOR THE POST OF FARM ATTENDANT CUM LABOUR (with signature of

Space for

_		candidate)
1	नाम (बड़े अक्षरों में )	
	Name in Full (Block Letters)	
2	पिता का नाम	
	Father's Name (in full)	343
3	जन्मतिथि (मैट्रिक प्रमाणपत्र अनुसार )	
	Date of Birth (as per class 10 <sup>th</sup> certificate)	
4	राष्ट्रीयता / Nationality	
5	धर्म / Religion	
6	जाति / Caste (with supporting documents)	
7	स्थायी पता (पिन कोड, टेलीफोन न. मोबाईल न. और ई मेल सहित) / Permanent Address with pin code, telephone no., mobile no. and e- mail id	
8	पत्राचार हेतु पता (पिन कोड, टेलीफोन न., मोबाईल न. और ई मेल सहित) / Address for Communication with pin code, telephone no. mobile no. and e- mail id	
9	शैक्षणिक योग्यता / Educational	
	qualification	
10	क्या दिव्यांग श्रेणी से है (हां/नही)	
11	अनुभव का विवरण / Details of	
	experience etc.	

दिनाक / Date: स्थान / Place

> आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of Applicant उम्मीदवार का नाम / Name of candidate